

6
7/25

पजावली पेशे डब, वकील प्राणीमण उपस्थित, विपक्षीगण
के सम्मन बाद तामिल हो 12 घण्टे हुए जिसे शाप कविये
गये। विपक्षीगण को कितरी बाद कक-कक कर झावाजे
पिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विक्रम एक तरफ
कार्यवाही किये जाने का क्षेपण दिया जाता है। वकील प्राणीमण
का प्रा-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय हुए पत्रसे लिख्य
जाकर शाप कविये गये। पजावली चैलल शुभकर होकर
जम्बर से कम हो।

7/25

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की लागू
में जारी हुए

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

अधीनस्थ अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

पुस्तक संख्या - 159/24 प्रा.पत्र

श्री नारायण लाल 5/0 श्री गावूराम गील निवासी - कीरगारा तहसील - आसी-6 (तहसील)

प्राप्ति

सनाम

श्री स्वतन्त्र लाल 5/0 श्री गावूराम गील निवासी - गागावानपुरा तहसील - माण्डल (तहसील)

[प्रस्तुत पत्र संकेत]

विपरीत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-06-24


::आदेश::

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर नियंत्रण विभाग के माध्यम से **गागावानपुरा** पटवार हल्का **गागावानपुरा** तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. **597, 600, 608, 609** कुल कित्ता **0.4** रकबा **1.4038** हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्राथी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।


उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **15-05-24** को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का कारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्राथी की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्राथी **गागावानपुरा** पटवार **गागावानपुरा** तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. **597, 600, 608, 609** कित्ता **0.4** रकबा **1.4038** हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक **गागावानपुरा** **600** रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे पथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। फसल खड़ी होने पर गढी नहीं की जायें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

लिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल